8 December, 2023

पीएम-डिवाइन

हाल ही में, केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने राज्यसभा में बताया कि 2022-23 के केंद्रीय बजट में घोषित 6,600 करोड़ रुपये की पीएम-डिवाइन योजना को 2025-26 तक पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

पीएम-डिवाइन की उत्पत्ति:

- उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास अंतराल को कम करना है।
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आठ राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं।
- इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी, यह केन्द्र प्रायोजित की योजना के रूप में संचालित होती है, जिसे केंद्र सरकार से 100% धन आवंटित होता है।
- इसे 12 अक्टूबर, 2022 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है।

पीएम-डिवाइन के उद्देश्य:

- पीएम गतिशक्ति योजना की भावना के अनुरूप बुनियादी ढांचे का वित्त पोषण करना।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना।
- युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- विभिन्न क्षेत्रों में विकास संबंधी अंतरालों को समाप्त करना।

बजट आवंटन:

- शुरुआत में केंद्रीय बजट 2022-23 में 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
- 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए 6,600 करोड़ रुपये का 4 वर्षीय आवंटन (2022-23 से 2025-26) किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए अन्य पहलें:

- उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास योजना (NEIDS)
- उत्तर पूर्वी परिषद (NEC)
- उत्तर पूर्व सड़क क्षेत्र विकास योजना
- **कनेक्टिविटी परियोजनाएँ:** कनेक्टिविटी परियोजनाओं में कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट और बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार (BCIM) कॉरिडोर शामिल हैं।
- **भारतमाला परियोजना:** भारतमाला परियोजना उत्तर पूर्वी क्षेत्र (NER) में 5,301 किलोमीटर सड़क विस्तार पर केंद्रित है।
- **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना-उड़ान:** क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना-उड़ान उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए सस्ती हवाई यात्रा को प्राथमिकता देती है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी

वर्ष 2020 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी (GPAI) का संस्थापक सदस्य भारत, 12 से 14 दिसंबर, 2023 तक वार्षिक GPAI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी क्या है?

- 2020 में शुरू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी (GPAI) एक बहु-हितधारक पहल है जिसका उद्देश्य AI से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों का समर्थन करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच के अंतर को पाटना है।
- भारत, एक संस्थापक सदस्य और सहयोगी अध्यक्ष के रूप में दिसंबर 2023 में वार्षिक GPAI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

थीम और उद्देश्य

- अनुसंधान संगोष्ठी, जिसकी थीम "सार्वजनिक क्षेत्र के अनुप्रयोगों में जिम्मेदार AI को आगे बढ़ाना" है तथा जिसका उद्देश्य वैश्विक AI विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और पेशेवरों को एकजुट करना है।
- यह GPAI के व्यापक लक्ष्यों के साथ संरेखित करते हुए जिम्मेदार AI को बढ़ावा देने वाले कार्रवाई योग्य अनुसंधान को प्रस्तुत करने का एक अवसर है।

संगोष्ठी ट्रैक और भागीदारी

- प्रसिद्ध वैश्विक संस्थानों के प्रतिष्ठित विद्वानों को मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है।
- कॉन्फ्रेंस शॉर्टलिस्ट ट्रैक में 36 से अधिक देशों से प्रस्तुतियाँ शामिल हैं, जिनमें जिम्मेदार AI सिद्धांतों, एल्गोरिथम जवाबदेही और संबंधित विषयों पर चर्चा होगी।
- 11 देशों के लेखकों सहित 15 अंतिम प्रस्तुतियाँ, सघन मूल्यांकन के बाद चुनी गई हैं।

AI और OECD की पृष्ठभूमि:

- AI में मशीन लर्निंग, पैटर्न पहचान, तंत्रिका नेटवर्क आदि शामिल हैं, जो फेसबुक के मित्र सुझावों और सेल्फ-ड्राइविंग कारों जैसी प्रौद्योगिकियों को प्रभावित करता है।
- 1961 में स्थापित OECD वैश्विक समृद्धि के लिए नीतियों को स्वरूप प्रदान करता है, भारत ने OECD का सदस्य न होने के बावजूद PISA 2021 में भाग लिया है।

भारतीय नागरिकता

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक निर्देश जारी किया, जिसमें नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6 A (2) के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त अप्रवासियों के संबंध में विशिष्ट डेटा मांगा गया है।

नागरिकता क्या है?

- नागरिकता एक कानूनी स्थिति है जो किसी व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध को परिभाषित करती है।
- यह व्यक्ति को कुछ कानूनी अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती है। नागरिकता को अक्सर राष्ट्रीयता के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है।

भारत में एकल नागरिकता:

- भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे अन्य संघीय देशों के विपरीत, भारत राज्य को अलग से नागरिकता की अनुमति नहीं देता है।
- इस एकल नागरिकता प्रणाली का उद्देश्य भारतीयों के बीच एकता को बढ़ावा देना और एक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र का निर्माण करना है।

नागरिकता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 5 से 11):

- अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता को संबोधित करता है।
- अनुच्छेद 6 से 8 पाकिस्तान में या पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्तियों और भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के विशिष्ट अधिकारों से संबंधित हैं।
- अनुच्छेद 9 से 11 विदेशी नागरिकता के स्वैच्छिक अधिग्रहण और कानून के माध्यम से नागरिकता को विनियमित करने के लिए संसद के अधिकार से संबंधित शर्तों की रूपरेखा प्रदान करते हैं।
- मूल संविधान उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो इसकी स्थापना (26 जनवरी, 1950) के समय नागरिक बने थे।
- हालाँकि, इनमें संविधान की शुरुआत के बाद नागरिकता के अधिग्रहण या समाप्ति से संबंधित प्रावधानों का अभाव है, जो संसद को इन मामलों पर कानून बनाने का अधिकार देता है।

नागरिकता का अधिग्रहण:

- 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के पांच तरीकों की रूपरेखा प्रदान करता है: जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण और क्षेत्र समावेशन।
- जन्म के आधार पर नागरिकता के मानदंड में माता-पिता की नागरिकता से संबंधित विशिष्ट तिथि-संबंधित नियम शामिल हैं।
- पंजीकरण पात्रता भारतीय मूल के व्यक्तियों और नाबालिगों तक विस्तृत है, जो कि भारतीय नागरिक हैं।
- प्राकृतिकीकरण की स्थितियों में भाषा दक्षता और विशिष्ट सेवा के अपवाद शामिल हैं।
- सरकार द्वारा क्षेत्र अधिग्रहण के बाद निर्धारित आधार पर क्षेत्र समावेशित व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है।

नागरिकता की समाप्ति:

- नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता त्याग, समाप्ति या वंचन के माध्यम से समाप्त की जा सकती है।
- त्याग के लिए एक सक्षम वयस्क द्वारा घोषणा की आवश्यकता होती है, जो नाबालिग बच्चों की नागरिकता को प्रभावित करती है।
- जब कोई भारतीय नागरिक युद्धकाल के अलावा, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।
- धोखाधड़ी, गैरकानूनी व्यापार, कारावास या लंबे समय तक विदेश में रहने इत्यादि के मामलों के लिए नागरिकता से वंचन द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

हट्टी समुदाय

हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हट्टी समुदाय के एक संगठन ने 16 दिसंबर को विरोध मार्च निकालने की घोषणा की है।

हट्टी समुदाय के बारे में:

- हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश के ट्रांस-गिरि क्षेत्र और उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह है।
- टोंस नदी, जो यमुना की एक सहायक नदी है और दोनों राज्यों के बीच की सीमा को चिह्नित करती है।
- हट्टी का नाम घरेलू सब्जियां, फसलें और मांस बेचने के उनके पारंपरिक व्यवसाय के नाम पर रखा गया है।
- उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है: भट्ट और खश, जिनकी उच्च स्थिति है तथा बधोई, जिनकी निम्न स्थिति है।
- हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के इस समुदाय को 2022 में अनुसूचित जनजाति (ST) सूची में जोड़ा गया था।
- इस समुदाय के लोग 1967 से एसटी दर्जे की मांग कर रहे थे।
- भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या 3,92,126 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 5.7% है।

केशवानंद भारती वाद

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने 10 भाषाओं में लगभग पांच मिनट का एक वीडियो तैयार किया, जो केशवानंद भारती वाद का संक्षिप्त इतिहास बताता है।

केशवानंद भारती वाद के बारे में:

- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद, जिसे केशवानंद भारती निर्णय के रूप में भी जाना जाता है।
- केशवानंद भारती वाद (1973) भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय था।
- इसने भारतीय संविधान की "मूल संरचना के सिद्धांत" को स्थापित किया।
- इस मामले को मूल अधिकार वाद के नाम से भी जाना जाता है।
- इस मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर 1972 से 23 मार्च 1973 तक 68 दिनों तक चली थी।
- यह वाद अनुच्छेद 26 के तहत दायर किया गया था, जो नागरिकों को सरकारी हस्तक्षेप के बिना धार्मिक स्वामित्व वाली संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार देता है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी

हाल ही में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर में बीएसएफ (BSF) के काफिले पर 2015 के उधमपुर आतंकी हमले से जुड़े लश्कर-ए-तैयबा के दो महत्वपूर्ण आतंकवादियों की संपत्तियां कुर्क कीं।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में:

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) आतंकवाद से निपटने के लिए भारत की प्राथमिक कानून प्रवर्तन एजेंसी है।
- इसकी स्थापना 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के अधिनियमन के साथ की गई थी।
- यह भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार है।
- 2008 का राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को विशेष अदालतें स्थापित करने की अनुमति देता है।
- यह अधिनियम मुकदमों के लिए विशेष प्रक्रियाएँ भी स्थापित करता है जो आपराधिक प्रक्रिया पर सामान्य कानून से भिन्न होती हैं।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99

हाल ही में, गाजा पट्टी पर इज़राइल के हमलों के बीच, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने युद्धविराम का आह्वान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 को लागू किया है।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99 महासचिव को उन मामलों को सुरक्षा परिषद के संज्ञान में लाने की शक्ति देता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है।
- चार्टर को एक अंतर्राष्ट्रीय संधि माना जाता है, जिसका अर्थ है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश "इससे बंधे हुए हैं"।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 को विभिन्न उदाहरणों में लागू किया गया था:
  - 1960 में, कांगो गणराज्य की स्थिति के संबंध में।
  - 1961 में, ट्यूनीशिया की एक शिकायत के संदर्भ में।
  - 1989 में, जब सुरक्षा परिषद ने लेबनान के सभी पक्षों से युद्धविराम करने का आग्रह किया था।

पोम्पे रोग

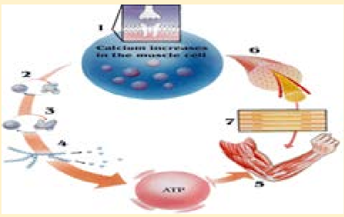

हाल ही में, भारत के पहले पोम्पे रोग से ग्रस्त व्यक्ति का 24 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

पोम्पे रोग(Pompe Disease) के बारे में:

- पोम्पे रोग एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जो हृदय और कंकाल की मांसपेशियों के विकास को अवरुद्ध करके कमजोरी का कारण बनता है।
- इसे एसिड-माल्टेज़ रोग और जी लाइकोजेन भंडारण रोग प्रकार-II के रूप में भी जाना जाता है।
- यह पाचन एंजाइम एसिड अल्फा-ग्लूकोसिडेज़ (GAA) की कमी के कारण होता है।
- यह एंजाइम शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग करने में मदद करता है।
- यह रोग तीन रूपों में प्रकट होता है: शैशवास्था, युवावस्था और वयस्कता।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

समाचारों में स्थान

इटली

हाल ही में, इटली ने बेल्ट एंड रोड परियोजना नामक प्रमुख चीनी पहल से हटने का निर्णय लिया है।

इटली (राजधानी: रोम)

अवस्थित: इटली दक्षिणी यूरोप में स्थित एक बूट के आकार का प्रायद्वीप है।

सीमाएँ:

- इटली अपनी भौगोलिक सीमाएँ फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, वेटिकन सिटी और सैन मैरिनो के साथ साझा करता है।
- यह भूमध्य सागर से घिरा हुआ है, जिसमें एड्रियाटिक सागर, आयोनियन सागर, टायरानियन सागर और लिगुरियन सागर शामिल हैं।

भौतिक विशेषताएं:

- आल्प्स का सबसे ऊँचा पर्वत माउंट ब्लैंक है, जो इटली और फ्रांस की सीमा पर स्थित है।
- इटली की सबसे लंबी नदी पो नदी है जो एड्रियाटिक सागर में गिरने से पहले आल्प्स घाटी से होकर बहती है।
- इटली में स्थित माउंट एटना, यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी में से एक है।

POINTS TO PONDER

- सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार नोटा का विकल्प किस प्रकार के चुनावों में लागू होता है? **- केवल प्रत्यक्ष चुनाव के लिए**
- कौन सी संस्था छत्तीसगढ़ कोयला बेल्ट क्षेत्र में मियावाकी पद्धति को लागू करने की योजना बना रही है? **- साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL)**
- कौन सा संगठन राष्ट्रीय स्वचालित फ़िंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS) का प्रबंधन करता है? **- सेंट्रल फ़िंगरप्रिंट ब्यूरो**
- भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? **- 11 मार्च 1891 को कोलकाता (कलकत्ता) में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में**
- हाथियों में घातक रक्तस्रावी रोग उत्पन्न करने वाला वायरस किस परिवार से संबंधित है? **- हरपीसविरिडे**